न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
36 / 2024	07 / 06 / 2024	22 / 12 / 2025

गोवर्धन पुत्र मदनलाल उम्र 50 साल, जाति कण्डारा निवासी खेडली महाराजा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज हाल निवास मकान नम्बर 151 ई सेक्टर आर के पुरम कोटा

वादी

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र शिवसिंह
2–दशरथसिंह पुत्र शिवसिंह
3–कर्णसिंह पुत्र शिवसिंह
4–रघुवीरसिंह पुत्र शिवसिंह
जातियान राजपूत निवासीगण खेडली महाराजा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री महेन्द्र शर्मा एड0।

वाद अर्न्तगत धारा 183 आर.टी.एक्ट. बाबत बेदखली

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम खेडली महाराजा पटवार हल्का दोलतपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज की खाता संख्या 18 की खसरा संख्या 347 / 510 रकबा 0.52 है. कित्ता 1 रकबा 0.52 है. जिसका वादी एक मात्र काबिज काश्त स्वामी है आगे वाद पत्र मे उपरोक्त आराजी को सुविधा की दृष्टि से विवादग्रस्त आराजी कहा गया है। वादी व उसके परिवार के पास जीवन यापन करने के लिए मात्र विवादग्रस्त भूमि ही है वादी के परिवार का विवादग्रस्त आराजी से भरण पोषण नही हो पा रहा था, और वादी परिवार सहित कोटा में रहकर मजदूरी करने लगा वादी के भाई सूरजमल ने प्रतिवादीगण को 4–5 साल पूर्व उसके खाते की भूमि कों पॉती काश्त पर दिया था, उसी वर्ष वादी ने भी अपनी उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी को 4–5 वर्ष पूर्व प्रतिवादीगण को वादी की विवादग्रस्त आराजी को पॉती काश्त पर दिया था हर वर्ष पॉती काश्त का हिसाब हो जाता था। इस वर्ष सरसों की फसल विवादग्रस्त आराजी पर की गई थी जिसका पॉती का हिसाब बादी नें प्रतिवादीगण से मांगा ओर बादी में प्रतिवादीगण से कहा कि अब मै प्रतिवादीगण से पॉती काश्त नहीं करूंगा स्वयं काश्त करूगा कोटा में भी मेरे पास काम नहीं है, मैं गाँव में रहकर ही काम करूंगा आप इस वर्ष के पॉती काश्त की फसल सरसों का हिसाब कर दो तो प्रतिवादीगण में वादी को धमकी दी कि विवादग्रस्त आराजी पाँती काश्त का कोई हिसाब नही है। अगर वादी नें स्वय काश्त की या किसी अन्य को पॉती काश्त पर दी तो जान से मार देगे। विवादग्रस्त आराजी हमारी है हम कब्जा नही छोडेगे प्रतिवादीगण ने वादी कों यह भी धमकी दी कि तेरी मर्जी आये जहाँ रोता फिर हमारा कुछ नही होगा और जबरन वादी की विवादग्रस्त आराजी कों दिनांक 30.4.2024 को होंक दिया। प्रतिवादीगण की नियत मे बध्यान्ति आ गई ओर वादी की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। दिनाक 30.4.2024 को प्रतिवादीगण नें वादी की विवादग्रस्त आराजी पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और वादी की विवादग्रस्त आराजी को हांक दिया प्रतिवादीगण में एक गिरोह बना रखा है तथा अपराधिक किस्म के व्यक्ति है वादी गरीब

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

व शाति प्रिय नागरिक है जो इनसे मुकाबला नही कर सकते पुलिस थाने मे भी वादी की कोई सुनवाई नहीं हुई ओर कहा कि अदालत में कार्यवाही करो आदेश आने पर हम प्रतिवादीगण को हटायेगे वरना कुछ नही करेगे। प्रतिवादीगण को पुलिस का सरक्षण प्राप्त है। वादी ने प्रतिवादी कम 5 से भी निवेदन है कि प्रतिवादी कम 1 ता 4 ने वादी की विवादग्रस्त आराजी पर अवैध कब्जा कर लिया है उन्हे बेदखल करे तो प्रतिवादी ने भी ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि अदालत में कार्यवाही करो अदालत ही बेदखल करेगी अदालत जैसा आदेश देगी उसकी पालना हम कर देगे। वादी की विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को अवैध कब्जा करने तथा अवैध रूप से कब्जा बनाये रखने का व अंतः कालीन लाभ प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नही है तथा वादी को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटायें तथा प्रतिवादीगण द्वारा अनुचित व गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किये जा रहे लाभ को व वादी के कब्जे काशत मे मदाखलत व मजहामत करने से प्रतिवादीगण को रोके इस कारण बादी यह वाद माननीय न्यायालय में बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रहा है। वाद कारण दिनाक 30.4.2024 को प्रतिवादीगण में वादी की विवादग्रस्त आराजी पर अवैध रूप से कब्जा करने व वादी कें विवादग्रस्त आराजी पर काश्त करने पर जान से मारने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ। अतः वाद प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की सादर डिक्री फरमाई जावे।

वादी की ओर से वाद श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 ता 4 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी कम 1 ता 4 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता मदनलाल व माधो आत्मज भैरूलाल कण्डारा निवासी ग्राम खेडली महाराजा आपस में भाई थे, जिनके खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 203 रकबा करीब 30 बीघा थी जो पाटी के नाम से जानी जाती थी, जिसके मध्य में दक्षिण से उत्तर की तरफ कोलाना माईनर निकली हुई है, तथा इस भूमि के पश्चिम मे खेडली गांव से विनायका गांव की गाडी गडार है। मदनलाल एवं माधो ने अपने जीवन काल मे भूमि का विभाजन कर लिया था जिसमे गाडी गडार पश्चिम से पूर्व की तरफ 1/2, 1/2 कर उत्तर की तरफ की माधो के वारिसान वर्तमान मे सत्यनारायण आत्मज माधो के खेत तथा दक्षिण की तरफ श्री मदनलाल के हिस्से मे आई भूमि है। मदनलाल के हिस्से में आई दक्षिण की 1/2 भूमि खसरानम्बर 203 करीब 15 बीघा जिसके उत्तर में माधों की 1/2 भूमि थी, जिसके पडोस में दक्षिण में सेटलमेनट से पहले खसरा नम्बर 202 हरिप्रकाश कलाल निवासी खेडलीमहाराजा, खसरा नम्बा 201 मन्नालाल केवट एवं खसरा नम्बर 208 हरिकिशन जी मीणा नलावता के खेत है। तथा पश्चिम मे गाडी गडार खेडली गांव से विनायका है. तथा पूरब में खेत खसरा नम्बर 206 बद्रीलाल बैरवा विनायका का खेत है। जिस पर मदनलाल जी की मृत्यु बाद बिरधीलाल, सूरजमल रमेश गोर्वधन श्याम जाति कण्डारा के संयुक्त खातेदारी में दर्ज हो गई, किन्तु श्याम नाबालिग था जिसे दूसरी काश्त की भूमि मिली थी। बिरधीलाल, सूरजमल, रमेश गोर्वधन, श्याम पिसरान मदनलाल जाति कण्डारा निवासी खेडली महाराजा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ने 200 /— रूपये के कुल 13 किता स्टाम्पों पर रूपयो की घरेलू जरूरत बताकर प्रतिवादीगण के पिता श्री शिवसिंह आत्मज श्री सुल्तानसिह जी निवासी खेडली महाराजा तहसील पीपल्दा जिला कोटा को 21,700 /— रूपये अक्षरे इक्कीस हजार सात सौ रूपये की एवज में

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

मदनलाल के वारिसों ने उनके खेत पाटी मे से खोटा पूर्व की तरफ का 5 बीघा 8, 1/2 बिस्वा का बेचान मिति श्रवण सुदी 5 सम्वत् 2044 दिनांक 31.07 1987 को कर कब्जा शिवसिंह जी को सम्भला दिया, जिसके साक्ष्य के रूप में लिखावट श्री किशनसिंह जी ने लिखी थी जिस पर बहैशियत विक्रेता चारों भाई बिश्धीलाल, सूरजमल, गोर्वधन ने हस्ताक्षर किये एवं रमेश ने अंगूठा लगाया था। गवाही में मथुरालाल कौर ने अगूठा निशानी की तथा भवरलाल छोटूलाल गूजर, कल्याणसिंह ने दस्तखत किये थे, जिनमे से वर्तमान मे मथुरालाल कीर ही जिवित है। दिनांक 31.07 1987 से श्री शिवसिंह जी बहैशियत्त क्रेता ऐलानिया ताजिन्दगी काबिज काश्त रहे शिवसिंह जी की मृत्यु दिनांक 05.12.2012 को होने के उपरान्त उपरान्त प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से लगातार विना गैर दखल के काबिज काश्त है। मदनलाल जी के पुत्रों ने 1/2 हिस्से की भूमि पाटी खसरा नम्बर 203 में से नहर कोलाना माईनर के पूरब की तरफ की 5 बीघा 8, 1/2 बिस्वा जिस के वर्तमान खसरा नम्बर 348/ रकबा 0.32 हैक्टयर है, एवं खसरा नम्बर 340/511 रकबा 0.60 हैक्टयर कुल 2 किता की 0.92 हैक्टयर वाके माल खेडली महाराजा है, जो प्रतिबादीगण के कब्जे काश्त में दिनांक 31.07 1987 से लगातार है। के अलावा मदनलाल जी के वारिसानो की शेष भूमि कोलाना माईनर के पश्चिम में एव गाडी गडार खेडली महाराजा से विनायका के मध्य खसरा नम्बर 347/510 रकबा 0.52 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 347 रकबा 0.55 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 346 रकबा 0.48 हैक्टयर रेवेन्यू रिकार्ड मे दर्ज है। खसरा नम्बर 347/510 रकबा 0.52 हैक्टयर जो कोलाना माईनर के पश्चिम मे है पर प्रतिवादीगण का कोईकब्जा काश्त नही है। वरन गोर्वधन के इस नम्बर पर गोर्वधन के बडा भाई रमेश वर्तमान में काश्त कर रहा है। मदनलाल कण्डारा के पुत्र वादी के अलावा अन्य भाई रमेश कोलाना माईनर के पश्चिाम मे खसरा नम्बर 347/510 रकबा 0.52 हैक्टयर को वर्तमान में खुद काश्त कर रहा है, तथा खसरा नम्बर 347/510 के लगवां पश्चिम में लगबी गाडी गडार खेडली महाराजा से विनायका तक मदनलाल जी के बडे पुत्र बिरधीलाल ने शेष 6 बीघा भूमि श्रीमति भंवरबाई पत्नी श्री हरिसिंह जी निवासी खेडली महाराजा को रजिस्टर्ड चिकय–पत्र से बेचान की दी जो वर्तमान में महेन्द्र सिंह आत्मज हरिसिंह के खसरा नम्बर 346 रकबा 0.48 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 347 रकबा 0.55 हैक्टयर कुल दो किता 1.03 हैक्टयर जिनका मौके पर कब्जा है। वादी जवाब की उपरोक्त विशेष आपत्तियों मे दर्ज तथ्यों के विपरीत झूठा बेबुनियाद दिनांक 30.04.2024 को बाद कारण के आधार पर बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद लाया है। जो कब्जे के अभाव मे वाद अस्थायी निषेधाज्ञा मेन्टेनेबल नहीं है तथा वादी का वाद बेचान की तिथी तारीख 31.07.1987 से स्पष्ट नियाद बारह है। वादी क्लीन हैण्ड से वाद लेकर नही आया है। वरन न्यायालय के समक्ष वास्तविकता छुपाकर झूठा बाद प्रतिवादीगण को तंग करने व परेशान करने के लिये लाया गया है। वास्तव मे वादी का वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की तृतीय अनुसूचि अनुसार बाद कारण बेचान की तिथी दिनाक 31.07.1987 एवं उसके बाद 12 वर्ष तक दिनाक 31.07 1999 तक बाद बेदखली का नही करने से दिनांक 31.07.2011 को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 (1), ( ) के तहत वादी के टीनेन्सी अधिकार समाप्त होने से वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं है। वादी ने वाद दुर्भावना पूर्वक झूठा प्रतिवादीगणको नाजायज पेरेशान करने के लिये किया है. जो विशेष हर्जा 20,000 रूपये से खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रकरण की परिस्थितियों मे न्यायालय उचित समझे प्रतिवादीगण को दिलवाई जावे।

तनकीयात

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

1. आयावादी वादी बाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित विवादग्रस्त आराजी वादी ग्राम खेडली महाराज पटवार हलका दौलतपुरा के खाता संख्या 18 में खसरा नवर 347/510 रकबा 0.52 है। भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के हकदार हैं।

2. आया प्रतिवादी को खसरा नबर 347/510 रकबा 0.52 है० पर अवैध कब्जा है। वादी

3. आया प्रतिवादी ने वादी से खसरा नंबर 348 रकबा 0.32 है0 348/511, 0.60 है0 5 बीघा 8, 1/2 बिस्वा का क्रय किया गया था। वादी

4. आया खसरा नंबर 347/510 पर रमेश वर्तमान में काश्त कर रहा है। प्रतिवादी

5. आया आर.टी. एक्ट के तहत 12 वर्ष तक बेदखली का दावा मदी करने से धारा 63 (1) के तहत खातेदारी अधिकारी समाप्त हो चुके हैं। प्रतिवादी

6. अनुतोष
वादी ने साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 गोर्वधन, पी0डब्ल्यू0 2 बिरधीलाल, पी0डब्ल्यू0 3 रामकरण, पी0डब्ल्यू0 4 सूरजमल, पी0डब्ल्यू0 5 गोरधन, पी0डब्ल्यू0 6 रमेश पेश किये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2076–79 खाता सं0 18 ख0नं0 347/510 प्रदर्श पी–1, खसरा गिरदावरी संवत 2076–78 प्रदर्श पी–2, खसरा गिरदावरी संवत 2080 प्रदर्श पी–3, नक्शा ट्रेस ख0नं0 345/510 प्रदर्श पी–4, रसीद पिलाई 36 दिनांक 2.3.2023 प्रदर्श पी–5, रसीद पिलाई 14 दिनांक 20.02.2024 प्रदर्श पी–6 पेश किए।

पत्रावली में बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के अभिकथनों को दोहराते हुए प्रार्थना की कि वादी अभिलिखित खातेदार है तथा प्रतिवादी अवैध अतिक्रमी है अतः बेदखली आदेश पारित किया जावे। वादी के वाद पत्र, प्रतिवादी के जवाब दावा तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार है–

1. तनकी सख्या 1. '' आयावादी वादी बाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित विवादग्रस्त आराजी वादी ग्राम खेडली महाराज पटवार हलका दौलतपुरा के खाता संख्या 18 में खसरा नबर 347/510 रकबा 0.52 है। भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के हकदार हैं'' इस तनकी हो सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वर्तमान नकल जमाबन्दी संवत 2076–79 खाता सं0 18 ख0नं0 347/510 प्रदर्श पी–1, खसरा गिरदावरी संवत 2076–78 प्रदर्श पी–2, खसरा गिरदावरी संवत 2080 प्रदर्श पी–3, नक्शा ट्रेस ख0नं0 345/510 प्रदर्श पी–4, रसीद पिलाई 36 दिनांक 2.3.2023 प्रदर्श पी–5, रसीद पिलाई 14 दिनांक 20.02.2024 प्रदर्श पी–6 पेश किये। मुताबिख राजस्व रिकॉर्ड वादी अभिलिखित खातेदार है। वादी ने नकल गिरदावरी तथा सिंचाई कर की रसीदे पेश की जिनसे यह साबित होता है कि वादी को बेदखल किया जाने से पूर्व वादी का वैध कब्जा बतौर अभिलिखित खातेदार था। वर्ष 2023 तथा वर्ष 2024 की सिंचाई कर की रसीदे व गिरदावरी रिपोर्ट से ऐसा तथ्य मानने योग्य है। रिकॉर्डेड खातेदार कब्जाधारी माना जाता है जब तक कि अन्यथा साबित नहीं हो। प्रतिवादी भी इसके विपरीत साबित नहीं कर पाया है। प्रतिवादी ने विवादित भूमि के वर्ष 1987 में क्रय संबंधी अमुद्रांकित व अपंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत किये है जो न्यायालय में न तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है न ही इनसे कही भी कब्जा साबित होता है कि वह वादी के वाद कारण की तिथि 30.04.2024 से पूर्व से ही भूमि पर काबिज था।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

न्यायालय अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर खातेदारी अधिकारों का अंतरण करने संबंधी घोषणा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा इसके नियम व प्रावधान ऐसी अनुमति प्रदान नहीं करते है। अतः वाद मियाद भीतर साबित है तथा वाद कारण उचित प्रतीत होता है। प्रतिवादीका यह तर्क अस्वीकार्य है कि वादी के अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा 63 (1) (iv) के तहत समाप्त हो चुके है। अतः प्रतिवादी ने वादी को साम्पत्तिक अधिकारों से अवैध रूप से वंचित व भूमि से बेदखल किया है। प्रतिवादी को अतिचारी घोषित किया जाता है तनकी बहक वादी घोषित की जाती है।

2. तनकी सं0 2 '' आया प्रतिवादी को खसरा नबर 347/510 रकबा 0.52 है० पर अवैध कब्जा है।'' चूंकि तनकी सं0 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है अतः प्रतिवादी ने वादी को साम्पत्तिक अधिकारों से अवैध रूप से वंचित व भूमि से बेदखल किया है। प्रतिवादी को अतिचारी घोषित किया जाता है तनकी बहक वादी घोषित की जाती है।
3. तनकी सं0 3 '' आया प्रतिवादी ने वादी से खसरा नंबर 348 रकबा 0.32 है0 348/511, 0.60 है0 5 बीघा 8, 1/2 बिस्वा का क्रय किया गया था।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा अमुद्रांकित व अपंजीकृत इकरारनामे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं है। इकरारनामे के आधार पर काश्तकारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्व, हक व अधिकारों का अंतरण नहीं किया जा सकता। अतः तनकी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।
4. तनकी सं0 4 '' आया खसरा नंबर 347/510 पर रमेश वर्तमान में काश्त कर रहा है।'' इस तनकी हो सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा खसरा नं0 347/510 पर रमेश विवादित आराजी पर काबिज होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः तनकी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।
5. तनकी सं0 5 '' आया आर.टी. एक्ट के तहत 12 वर्ष तक बेदखली का दावा मदी करने से धारा 63 (1) के तहत खातेदारी अधिकारी समाप्त हो चुके हैं।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। चूंकि तनकी 4 प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जा चुकी है प्रतिवादी यह दावा नहीं कर सकता कि बेदखली की मियाद समाप्त होने के कारण खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये है। तनकी साक्ष्य के अभाव में विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।
6. तनकी सं0 6 अतिरिक्त अनुतोष की आवश्यकता न्यायालय की दृष्टि में नहीं है।

अतः ग्राम खेडली महाराजा पटवार हल्का दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थिति ख0नं0 347/510 रकबा 0.52है0 भूमि पर प्रतिवादी को अतिचारी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रतिवादी को भूमि से बेदखल करके वादी को खुला कब्जा संभलाया जावे। उक्त निर्णय की पालना अपील की निर्धारित अवधि के समाप्त होने के उपरांत हो। प्रतिवादी निर्धारित अवधि के तहत अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
36 / 2024	07 / 06 / 2024	22 / 12 / 2025

गोवर्धन पुत्र मदनलाल उम्र 50 साल, जाति कण्डारा निवासी खेडली महाराजा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज हाल निवास मकान नम्बर 151 ई सेक्टर आर के पुरम कोटा

वादी

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र शिवसिंह
2–दशरथसिंह पुत्र शिवसिंह
3–कर्णसिंह पुत्र शिवसिंह
4–रघुवीरसिंह पुत्र शिवसिंह

जातियान राजपूत निवासीगण खेडली महाराजा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज

5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री महेन्द्र शर्मा एड0।

वाद अर्न्तगत धारा 183 आर टी एक्ट बाबत बेदखली

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री मनोज शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम खेडली महाराजा पटवार हल्का दौलतपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थिति ख0नं0 347 / 510 रकबा 0.52है0 भूमि पर प्रतिवादी को अतिचारी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रतिवादी को भूमि से बेदखल करके वादी को खुला कब्जा संभलाया जावे। उक्त निर्णय की पालना अपील की निर्धारित अवधि के समाप्त होने के उपरांत हो। प्रतिवादी निर्धारित अवधि के तहत अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 22.12.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्रमनामा			बाबत इजराय हुक्रमनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)